TENDER FORM

Cost of Form Rs. 1000/-

Date and time of opening of Tender : 23-08-2024 & 11:00 AM

1. **Rate of Trees to be sold in** : **Rs. ....**
   In words..
2. **Details of earnest money** : **Bank draft no. ....**
   Name of Bank ....
   Dated.............................. amount.......................... (   )
3. **Name of tenderer** : **.................................**
4. **Father's Name** : **.................................**
5. **Address** : **.................................**
   Village : **.................................**
   Post : **.................................**
   Police Station : **.................................**
   District : **.................................**
   Mobile No. : **.................................**
6. **Certificate in support of permanent address** : **.................................**
7. **GST registration number of contractor** : **.................................**
8. **Permanent Account Number (PAN) of contractor** : **.................................**

Note: Terms & conditions are available on website www.nduat.org

Signature of Tenderer
Date ....

सम्पत्ति अधिकारी

कार्यालय सम्पत्ति अनुभाग

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0 कुमारगंज, अयोध्या

नीलाम किये जाने वाले वृक्षों की सूची

क0सं0	प्रजाति	आवाक्ष गोलाइ (मी0 में)	वृक्ष की दशा	निविदादाता द्वारा प्रदान की जा रही धनराशि
1.	आम	2.38	सूखा गिरा	
2.	आम	2.68	सूखा गिरा	
3.	महुआ	2.52	सूखा खड़ा	
4.	आम	3.95	सूखा गिरा	
5.	महुआ	2.00	हरा खड़ा	
6.	आम	2.98	सूखा खड़ा	
7.	गूलर	2.80	हरा खड़ा	
8.	आम	2.01	हरा खड़ा	
9.	आम	2.50	हरा खड़ा	
10.	आम	1.45	हरा खड़ा	
11.	आम	2.30	हरा खड़ा	
12.	जामुन	2.17	हरा खड़ा	
13.	आम	1.47	हरा खड़ा	
14.	जामुन	1.90	हरा खड़ा	
15.	आम	1.45	हरा खड़ा	
16.	आम	1.50	हरा खड़ा	
17.	आम	2.60	हरा खड़ा	
18.	महुआ	1.60	हरा खड़ा	
19.	आम	1.55	हरा खड़ा	
20.	आम	1.60	हरा खड़ा	
21.	आम	1.92	हरा खड़ा	
22.	आम	1.42	हरा खड़ा	
23.	आम	2.02	हरा खड़ा	
24.	आम	2.13	हरा खड़ा	
25.	आम	2.72	हरा खड़ा	
26.	आम	1.58	हरा खड़ा	
27.	आम	1.47	सूखा खड़ा	
28.	आम	0.98	हरा खड़ा	
29.	आम	1.92	हरा खड़ा	
30.	आम	0.82	हरा खड़ा	

सम्पत्ति अधिकारी

सम्पत्ति अनुभाग

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौ0 वि0वि0 कुमारगंज, अयोध्या।

निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि– 22.08.2024 **समय : 4:00 PM**

निविदा खोलने की तिथि : 23.08.2024 **समय : 11: AM**

निविदा की मुख्य शर्तें:

1. पंजीकृत फर्म/ ठेकेदार द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म सम्पत्ति अनुभाग से रू0 1000/– नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। विश्वविद्यालय का बेवसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड किये जाने की दशा में निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 1000/– का बैंक ड्राफ्ट, ***वित्त नियंत्रक, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पिठला, अयोध्या*** के पक्ष में देय होगा, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. धरोहर धनराशि के रूप में रू0 50,000/– मात्र का बैंक ड्राफ्ट ***वित्त नियंत्रक, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पिठला, अयोध्या*** के पक्ष में देय होगा तथा आधारकार्ड, जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र एवं पैनकार्ड की एक–एक प्रति लिफाफे स0–1 में तथा भरा हुआ टेण्डर फार्म एवं पेंड़ो की मूल्याकित धनराशि को अलग से लिफाफा स0–2 में डालकर पंजीकृत डाक/ *सम्पत्ति अनुभाग में जमा करना होगा। सबसे पहले* लिफाफा स0–1 *को खोला जायेगा, सभी दस्तावेज सही पाये जाने की दशा में ही* लिफाफा स0–2 को खोला जायेगा। उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट न जमा करने की स्थिति में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. भरे हुए निविदा फार्म में किसी प्रकार की ओवरराइटिंग/ कटिंग स्वीकार नहीं की जायेगी। दर अंकों एवं शब्दों में अंकित किया जाय। कटिंग होने की दशा में शब्दों का विवरण ही मान्य होगा। मोहरबन्द निविदा एवं धरोहर धनराशि के साथ अन्य प्रमाण पत्र को अलग–अलग लिफाफे में डालकर पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट अथवा ***सम्पत्ति अनुभाग में सम्पत्ति अधिकारी, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या*** के पक्ष में अन्तिम तिथि को सायं 4:00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी।

4. निविदा भरने से पूर्व 30 खड़े विभिन्न प्रजाति के पेड़ जो कि विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में है, का निरीक्षण निविदादाता किसी भी कार्यदिवस में 12:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक कर सकता है। पेड़ों पर 01 से 30 तक नम्बर अंकित है। निविदा प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त किसी प्रकार की शिकायत वाद– विवाद अथवा क्लेम इत्यादि स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. निविदा स्वीकार/ अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा।

6. ठेकेदार की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात पेड़ों का मूल्यांकन शुल्क रू0 900/-(नौ सौ) मात्र वन विभाग, कार्यालय, कुमारगंज रेंज में जमा करके उसकी रसीद उपलब्ध कराने के उपरान्त ही आगे की कार्यवाही की जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अभिवहन नियमावली–1978 की धारा 3/28 के प्राविधानों के अनुसार रू0 76.00 प्रति टन की दर से अभिवहन शुल्क तथा रू0 75.00 घन रजिस्ट्रेशन शुल्क वन विभाग में जमा करने के उपरान्त कार्यालय से नियमानुसार वृक्ष

सम्पत्ति अधिकारी

अभिवहन सम्बन्धी कार्यादेश प्राप्त करके एक प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अभिवहन की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त समस्त धनराशि निविदा में दर्ज की गयी दर के अतिरिक्त है। जिसे ठेकेदार द्वारा ही वहन करना होगा।

7. उपरोक्त पर आयकर/ जी0एस0टी0/ मंडी शुल्क/ सरचार्ज/ अन्य कर इत्यादि यदि लगता है तो वह ठेकेदार को अलग से नियमानुसार वहन करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा कुछ भी नहीं वहन किया जायेगा।

8. पेड़ काटने का आदेश मिलने के पंद्रह दिन के अन्दर ठेकेदार द्वारा पेड़ों की कटाई एवं उठाने का कार्य पूर्ण करा लेना होगा। यदि उक्त समय में ठेकेदार पेड़ों की कटान तथा उठान नहीं कर पाता है तो निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

9. पेड़ जहां जिस दशा में स्थित है उसी अनुसार लेना होगा। इस सम्बन्ध में कोई विवाद स्वीकार नहीं होगा।

10. पेड़ों को काटने के समय विश्वविद्यालय परिसर में ठेकेदार या उनके श्रमिकों द्वारा पूर्ण रूप से शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा किसी भी राजकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगें।

11. ठेकेदार को वृक्षों का कटान एवं उठान इस तरह से करना होगा कि काट जाने वाले वृक्ष लाट के समीप स्थित बिजली लाइन, टेलीफोन लाईन या भवन आदि की क्षति न हो तथा काटे जा रहे वृक्षों से मार्ग पर चलने वाले वाहनों एवं राहगीरों आदि की सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार लाल झण्डी का प्रयोग केता को स्वयं करना होगा। यदि लाट में पेड़ों के कटान से किसी व्यक्ति अथवा विश्वविद्यालय सम्पत्ति की कोई क्षति होगी तो इसकी क्षति पूर्ति केता को करनी होगी।

12. उच्चतम निविदा दाता को निविदा की धनराशि में से धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धरोहर धनराशि ड्राफ्ट के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। उसके उपरान्त ही कटान की अनुमति दी जायेगी। समय से धनराशि जमा न करने पर धनराशि जप्त करते हुए निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

13. निविदा के साथ कम से कम दो पहचान पत्र जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड इत्यादि संलग्न करना होगा। यदि निविदा दाता/ठेकेदार कोई साक्षीदारी फर्म है तो उक्त दस्तावेज संलग्न करना होगा। यदि निविदा दाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत फर्म है तो उसे नीलामी में भाग लेने हेतु कम्पनी/फर्म द्वारा जारी अधिकार पत्र, कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण–पत्र व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची तथा उक्त वर्णित में से कोई दो पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा।

14. विश्वविद्यालय की तरफ से कोई सुविधा देय नहीं होगी।

15. भुगतान की समस्त धनराशि डी.डी. के माध्यम से ***वित्त नियंत्रक, आचार्य न0दे0 कृषि एवं प्रौ0 वि0वि0, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, पिठला, कुमारगंज, अयोध्या*** के पक्ष में स्वीकार किये जायेगें।

सम्पत्ति अधिकारी

16. यदि कोई अतिरिक्त पेड़/ पौधे उच्चतम बोलीदाता द्वारा काटे गये पाये जाते हैं तो एफ0आई0आर0 दर्ज करने जैसी सख्त कार्यवाही की जायेगी तथा ठेकेदार द्वारा जमा की गई समस्त धनराशि जब्त करने के अधिकार, विश्वविद्यालय को होगा।

17. यदि परिसर से लकड़ी निकालने के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन में नीलाम की गयी लकड़ी को छोड़कर कोई भी विश्वविद्यालय सामग्री पायी जाती है तो सख्त कार्यवाही की जायेगी और विश्वविद्यालय द्वारा उच्चतम बोलीदाता/ ठेकेदार को दंडित किया जायेगा।

18. विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबन्धित व्यक्तियों द्वारा डाली गयी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

घोषणाः मैंने विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में खड़े 30 विभिन्न प्रजाति के पेड़ों हेतु निविदा की उपरोक्त सभी शर्तें पढ़ ली है तथा उनका मौके पर निरीक्षण भी कर लिया है। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य है तथा हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामन्दी से बिना किसी दबाव के पूर्ण होशोहवास में किये हैं। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गयी है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर

सम्पत्ति अधिकारी